न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 143/2015/दावा

बंशीधर पुत्र स्व. सुन्दरलाल आयु 81 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

—वादीगण

बनाम

1 घनश्याम पुत्र दुर्गाप्रसाद अग्रवाल जाति महाजन निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

2 देवी सिंह पुत्र शेरसिंह मन्ना जाति राजपूत निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

3 सविता शर्मा धर्मपत्नि वेदप्रकाश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

4 गिरधारी लाल
5 शम्भुसिंह } पुत्रगण स्व.हणमान

6 चंदा
7 फूली
8 सुमित्रा } पुत्रियां स्व. हणमान

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बेनीवाल तन रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

9 ललित कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल आयु वयस्क जाति महाजन निवासी बी—77 भवानी नगर जयपुर

10 रतनलाल पुत्र श्री कुशलाराम आयु वयस्क जाति जाट निवासी तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

11 आशा देवी धर्मपत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

12 तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

13 उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारा, उदघोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी की ओर से।
2. श्री बजरंगसिंह शेखावत वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5, 9, 11 की ओर से।
3. श्री बजरंगलाल व शंकरलाल सेवदा वकील प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से।
4. शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

निर्णय   दिनांक 13.02.2023

1. वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 1720 ता 1723, 1762 ता 1765 कुल किता 8 कुल रकबा 1.16 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम खाटूश्माजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 की संयुक्त खाते की शामलाती कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 27/140 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 7/48 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 3/28 हक हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 का 3/28 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 3/140 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/14 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/48 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउन्डस कानूनी रूप से विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा मौके पर कर रखा है और उक्त बाहमी बंटवारा के मुताबिक मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी के हिस्से में कृषि भूमि ख.नं. 1764 रकबा 0.19 हैक्टर में से 18.33 ऐयर भूमि पश्चिमी तरफ की तथा ख.नं. 1765 रकबा 0.23 हैक्टर में से 4.17 ऐयर भूमि पूर्वी तरफ की कुल 22.50 ऐयर अर्थात 2250 वर्ग मीटर कृषि भूमि आई है। बाहमी बंटवारा में प्राप्त वादी के हिस्से की कृषि भूमि को वाद पत्र के संलग्न जरी नक्शा में दर्शित बरंग सुर्ख लाल से प्रदर्शित किया गया है। वादी ने अपने हिस्से में आई भूमि पर काश्त की सुरक्षार्थ पुख्ता चार दीवारी का निर्माण कर रखा है। वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को वाद पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के मन में अर्सा करीब 1 माह से बेदयान्ति आ गयी है। खातेदारी में संयुक्त रूप से नाम दर्ज होने के कारण उक्त कृषि भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की कुचेष्ठा करने में लगे हुए है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी द्वारा मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने बाबत प्रतिवादीगण 1 ता 11 को कहा तो प्रतिवादीगण साफ तौर पर इन्कार हो गये, इसलिए संयुक्त खातेदारी में रहना संभव नहीं रहा है, इसलिए प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जाना लाजिम आया है। वादी वाद कारण अर्सा करीब 5–7 रोज पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का कानूनी रूप से बंटवारा करवाने से साफ इन्कार होने के कारण उत्पन्न हुआ, तब से वाद कारण निरन्तर रूप से जारी है। अतः अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन किया जावे तथा तदनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर संशोधन किया जावे, बंटवारे में वादी को प्राप्त भूमियों का पृथक से काबिज खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाकर विभाजन/बंटवारे में वादी को प्राप्त भूमियों की नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पेड पौधे की लुंग डाली काटने, उपयोग तथा उपभोग में हस्तक्षेप करने, मौका सुरत में तब्दिली करने से प्रतिवादीगण स्वंय, एजेंट, नोकर,

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

वारिशान, परिजनों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5, 9, 11 की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंगसिंह शेखावत हाजिर आये व जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 10 की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंगलाल व शंकरलाल सेवदा हाजिर आये। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5, 9, 11 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमियों का मौके अनुसार कानूनी तौर पर बंटवारा किया जाकर तथा अलग से खसरा नम्बर कायम किया जाकर दावा डिकी फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रतिवादीगण सं. 10 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 10 को भूमि खसरा नम्बर 1721 व 1722 का काबिज काश्तकार उद्घोषित कर उसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा वादी व शेष प्रतिवादीगण के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 10 के कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी भी तरह से दखल अंदाजी न करें। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा बाबत सहमति प्रकट किये जाने से वाद विवाघक कायम नहीं किये जाकर उभय पक्षकारान् के निवेदन व सहमति पर वाद को प्रारम्भिक रुप से डिक्री कर तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ। वकील प्रतिवादी संख्या 10 ने प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश कर कथन किया खसरा नम्बर 1720 व 1721 पर काबिज काश्तकार दर्शाया गया है तथा यह भूमि प्रतिवादी के हिस्से में दर्शायी गयी है जो गलत है स्वीकार नहीं है। मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। प्रत्येक पक्षकार को अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि दी जानी चाहिए इसलिए पुन बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मंगवाया जावें। वकील वादी ने आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव आवेदन का जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 10 रतनलाल स्वयं ने अपने जबाब दावा मय काउण्टर दावा की मद संख्या 3 में खसरा नम्बर 1721 पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया है तथा इसी अनुसार बंटवारा करने की सहमति प्रदान की है। आपत्तिकर्ता का उद्देश्य केवल प्रकरण को लंबित रखना है जो कि खारीज होने योग्य है। प्रस्तुत आपत्ति खारीज किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अंतिम ड्किी किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5, 9, 11 ने प्राप्त बंटवारा पर कोई आपत्ति नहीं कर प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी हेतु सहमति जाहीर की। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव के समग्र अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5, 9, 11, 10 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर दावा प्रस्तुत हुआ है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5, 9, 11 ने प्रस्तुत जवाब दावा मय काउन्टर दावा में वाद में वर्णित खसरा नम्बरों

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

का By Mits & Bounds बंटवारा करने की सहमति देते हुये अपना हिस्सा का भी बंटवारा कर पृथक करने का अनुतोष काउन्टर वाद के माध्यम से चाहा है। उभय पक्षकारान् की सहमति से वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर मौके का बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव व आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव व जबाब आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने काउटर वाद में भूमि खसरा नम्बर 1721 पर काबिज होना स्वीकार किया है तथा उसी अनुसार खातेदार काश्तकार उदघोषित करने का अनुतोष चाहा है। अतः प्रतिवादी संख्या 10 का आपत्ति आवेदन सारहीन होने से अस्वीकार कर खारीज किया जाता है तथा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रृटि नहीं होने से वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5, 9, 11 का काउन्टर वाद मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री इन्द्राज करे व बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादीगण स्वयं को मय वारिशान, परिजन, एजेंट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5, 9, 11, 10 को बंटवारे में प्राप्त कृषि आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने, कृषि कार्य में अवरोध उत्पन्न करने, नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पैड पौधे काटने, मौका सुरत में तब्दिली करने से बाज रहे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/02/23

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या: 143 / 2015 / दावा

बंशीधर पुत्र स्व. सुन्दरलाल आयु 81 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

—वादीगण

बनाम

1 घनश्याम पुत्र दुर्गाप्रसाद अग्रवाल जाति महाजन निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

2 देवी सिंह पुत्र शेरसिंह मन्ना जाति राजपूत निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

3 सविता शर्मा धर्मपत्नि वेदप्रकाश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

4 गिरधारी लाल
5 शम्भुसिंह } पुत्रगण स्व.हणमान

6 चंदा
7 फूली
8 सुमित्रा } पुत्रियां स्व. हणमान

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बेनीवाल तन रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

9 ललित कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल आयु वयस्क जाति महाजन निवासी बी–77 भवानी नगर जयपुर

10 रतनलाल पुत्र श्री कुशलाराम आयु वयस्क जाति जाट निवासी तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

11 आशा देवी धर्मपत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

12 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

13 उप पंजीयक, दांतारामगढ़ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा, उदघोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी की ओर सें।
2. श्री बजरंगसिंह शेखावत वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5, 9, 11 की ओर सें।
3. श्री बजरंगलाल व शंकरलाल सेवदा वकील प्रतिवादी संख्या 10 की ओर सें।
4. शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' – 1)

अजअदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

बंशीधर बनाम धनश्याम आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 143 / दावा सन् 2015 निर्णय दिनांक 13.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू प्रतिभा वर्मा आई.ए.एस बहाजरी श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत मिनजानिबमुददई व बहाजरी श्री बजरंगसिंह शेखावत व बहाजरी श्री बजरंगलाल व शंकरलाल सेवदा मिनजानिबमुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक भू0अ0 / 2022 / 2708 दिनांक 21.12.2022 के द्वारा खाटूश्यामजी प0ह0 खाटूश्यामजी का प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती हैं :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
1	घनश्याम पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति महाजन सा. देह	1722	0.0500	बारानी 2	0.20
		1723 / 2	0.0560	बारानी 2	0.22
		1765 / 1	0.0633	बारानी 2	0.25
		किता 3	0.1693	–	0.67
2	आशा देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा. देह	1723 / 1	0.0240	बारानी 2	0.10
3	देवी सिंह पुत्र शेर सिंह मन्ना जाति राजपूत सा. देह	1762	0.2300	बारानी 2	0.92
		1763 / 3	0.1567	बारानी 2	0.63
		किता 2	0.3867	–	1.55
4	रतन लाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट सा. देह	1720	0.0200	बारानी 2	0.08
		1721	0.0600	बारानी 2	0.24
		किता 2	0.0800	–	0.32
5	सविता शर्मा पत्नि वेद प्रकाश शर्मा जाति ब्राहम्ण सा. देह	1765 / 2	0.1250	बारानी 2	0.50
6	गिरधारी लाल, शम्भू सिंह पि. हणमान, चन्दा, फूली, सुमित्रा पुत्रियां हणमान जाति जाट नि. ढाणी बेनीवाल तन रींगस तहसील श्रीमाधोपुर	1763 / 2	0.1250	बारानी 2	0.50
7	बंशीधर पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्राहम्ण सा. देह	1764 / 1	0.1833	बारानी 2	0.73
		1765 / 3	0.0417	बारानी 2	0.17
		किता 2	0.2250	–	0.90
8	ललित कुमार अग्रवाल पुत्र बाबूलाल अग्रवाल जाति महाजन नि.बी 77 भवानी नगर जयपुर	1763 / 1	0.0183	बारानी 2	0.07
		1764 / 2	0.0067	बारानी 2	0.03
		किता 2	0.0250	–	0.10

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है डिक्री की पालना में प्रतिवादीगण स्वयं को मय वारिशान, परिजन, एजेंट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5, 9, 11, 10 को बंटवारे में प्राप्त कृषि आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने, कृषि कार्य में अवरोध उत्पन्न करने, नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पैड पौधे काटने, मौका सुरत में तब्दिली करने से बाज रहे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूल याबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.02.2023 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामग

मोहर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ (सीकर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्पअर्जीदावा	6	00	स्टाम्पवकालतनामा	1	00
स्टाम्पवकालतनामा	1	00	स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत	–	–	मेहनतानावकीलपर ...		
मेहनतानावकील	–	–	खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान	–	–	फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर	–	–	बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेन का, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

13/01/23

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ